

# ORDER SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of order of Proceeding  
 Order or Proceeding  
 Case No. 600357/16  
 Signature of Parties where Pleadings are Necessary

आज आरक्षी केन्द्र के उपनिरीक्षक / सहायक  
 उपनिरीक्षक / प्रधान क 895 द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध  
 के अंतर्गत धारा 304 अघात के अधिनियम के अधीन दण्डनीय  
 भाद0 सं0 / 34 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग  
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।  
 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 357/16

अभियुक्त / अभियुक्तगण राजपुत्रावली के डी. 21 मर्दो वारंटी

निवासी / निवासिगण उम 30 मूल  
 थाना 600357 जिला मिर्जापुर राज्य (मि.) से अधिवक्ता  
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता  
 श्री 357/16 द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत  
 किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भाद0 सं0 / 34 अपराध के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0 प्र0 सं0 के अधीन नज्ञान के ज्ञान का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन भाद0 सं0 357/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण के भाद0 सं0 357/16 के अधीन प्रावधान प्रकाश में अभियोग पत्र / परिवाद पत्र के अधीन निशुल्क दिलाए

दृष्टि में अभियोग पत्र / परिवाद पत्र के अधीन निशुल्क दिलाए



चूँकि मामला सक्षित विचारणीय है। अतः राक्षित विचारण प्रारण किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा भा0द0स0/ 34 प्रारणित। अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टिया विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 27 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति: रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 61.00/- मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class  
Gohat Dist. Bhabu (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 18 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसर संचित हो।

12/11/20  
A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class  
Gohat Dist. Bhabu (M.P.)  
याचिक मांजिर...

21/11